जिला स्तरीय जल जीवन मिशन की बैठक संपन्न

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में 34वीं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने जल जीवन मिशन के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए और कहा कि लक्ष्य पूरा नहीं होने को गंभीरता से लिया जाएगा। जिला कलक्टर ने पेयजल में गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेम्पल की संख्या बढ़ाई जाए। जहां कहीं भी गुणवत्ता में कमी पाई जाए वहां बिना विलम्ब के सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। विभिन्न क्षेत्रों में साथ ही कोचिंग एरिया में विशेष रूप से पेयजल के नमूने निरंतर लिए जाएं। मिशन अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में भी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार झा ने बताया कि जिन ग्रामों में हर घर जल नल पूर्णतः उपलब्ध हो चुका है, वहां ग्राम सभा में प्रमाणीकरण करवा कर हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

राजा राममोहन राय की जयंती सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाई

रामगंजमण्डी, (निसं)। राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय रामगजमंडी में गुरुवार को राजा राममोहन राय की जन्म जयंती तथा राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शैलेष काला मंडल अध्यक्ष भाजपा रामगंजमण्डी ने की। वहीं मुख्य अतिथि अखलेश मेड़तवाल रहे। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में सुधीर सुनेजा मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रामगंजमंडी पुस्तकालय विकास कमेटी के सदस्य बलराम त्रिवेदी रामकुमार भारद्वाज व ओमप्रकाश जैन सहित आदि सदस्यगण मंचासीन रहे। सर्वप्रथम सामान्य मंच द्वारा मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की गई एवं राजा राममोहन राय के छायाचित्र माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात मां सरस्वती वंदना पुस्तकालय की पाठक माया कुमारी एवं चंचल मीणा द्वारा की गई। इसके पश्चात पुस्तकालय स्टॉफ कैलाश चंद्र राव पुस्तकालय अध्यक्ष, लखविंदर सिंह कनिष्ठ सहायक व हितेश चौधरी आदि के द्वारा मंचासीन अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया।

इस अवसर पर कैलाश चंद्र राव पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा राजा राममोहन राय के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला साथ ही राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता द्वारा राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों को दी जाने वाली आर्थिक सहायताओं एवं दिए जाने अन्य आर्थिक परिलाभों से पाठकों और अतिथियों को अवगत कराया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेड़तवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि 22 मई को राजाराम मोहन राय की जयंती मनाई जाती है, राजा राम मोहन राय की जयंती को राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस के रूप में भी मनाया जाता हैं। यह दिन सार्वजनिक पुस्तकालयों के महत्व को उजागर करता है और लोगों को पुस्तकों और ज्ञान तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। राजा राममोहन राय एक महान समाज सुधारक थे।

उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और अन्य सामाजिक बुराईयों के खिलाफ आवाज उठाई और आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए काम किया। वहीं मुख्य अतिथि व अध्यक्ष नगरपालिका रामगंजमंडी मेड़तवाल द्वारा पुस्कालय परिसर मे इंटरलॉकिंग व पौधों की सुरक्षा के लिए तार फिक्सिंग सहित इत्यादि कार्य करवाने का मौके पर ही आदेश दिया गया। जम्बू कुमार मितल हिमांशु मितल रामगंजमण्डी की ओर से पाठकों के वास्ते शुद्ध व शीतल जल की व्यवस्था के लिए वॉटर कूलर पुस्तकालय परिसर मे लगाने की घोषणा की।अंत मे अतिथियों एवं पाठकों का आभार और धन्यवाद लखविंदर सिंह सहायक द्वारा किया गया। पुस्तकालय के पाठक सुनील कुमार मीणा, कन्हैयालाल, अंकुश कुमार, चंचल, मिनाक्षी, माया कुमारी, मर्जिया व सुनील सहित आदि लगभग 50 पाठक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय रामगजमंडी में राजा राममोहन राय जयंती मनाई गई।

टेनिस प्रतियोगिता में हुए रोमांचित मैच

कोटा, (निसं)। राजस्थान टेनिस संघ एवं जिला टेनिस संघ के संयुक्त तत्वावधान में 18 मई से 25 मई तक आयोजित हो रहे कोटा टेनिस प्रीमियर लीग के डबल्स फाईनल मैच के चौथे दिन के शुभारंभ मुख्य अतिथि अनिल आनंद एवं खेल प्रेमी मनोज सोनी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर कार्यक्रम प्रारंभ किया। मनोज सोनी ने खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने एवं प्रतियोगिता में आने वाली टीमों के प्रदर्शनमानों के बारे में जानकारी प्रदान की।

प्रतियोगिता प्रभारी अमरेंद्र कुमार के अनुसार आज के चौथे दिन बैंक ऑफ बड़ौदा टीम ने रॉयल रोड्स टीम को मैच में 3-0 से हराया। बैंक स्ट्रेट स्ट्रोक्स टीम के प्रमुख खिलाड़ी तेज एवं इशान की जोड़ी ने कुमार और अर्पित की जोड़ी को 6-0 से, इशान और अर्पित की जोड़ी ने प्रमुख प्रवीण और विपिन की जोड़ी को 6-3 से हराया। अंतिम मैच रजनीश एवं विपिन की जोड़ी ने 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कॉमर्स कामांडो टीम ने मेट एडवोकेट टीम को 3-0 से हराया।

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2024-25/639 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक:- 22.5.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्डधारी/आवेदक श्रीमती इन्दू शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा निवासी रावतभाटा ने आवेदन प्रस्तुत कर नगर पालिका रावतभाटा द्वारा लॉट्री दिनांक 31.12.2007 के अन्तर्गत आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 442 श्रेणी (ब) साईज 30X50 क्षैत्रफल 1500 वर्गफीट अर्थात् 139.41 वर्गमीटर श्रीगणेश नगर आवासीय योजना रावतभाटा के पुन: विक्रय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

प्रस्तुत दस्तावेज एवं पत्रावली अनुसार यह भूखण्ड पालिका द्वारा लॉट्री दिनांक 31.12.2007 अन्तर्गत श्री नाजिर मियां पिता श्री नौसे मियां निवासी रावतभाटा को आवंटित किया गया था, जिसकी सम्पूर्ण राशि एवं एकमुश्त 10 वर्ष की लीज राशि जमा होने के उपरान्त पालिका द्वारा लीज डीड क्रमांक 496 दिनांक 19.03.2008 व पंजीयन दिनांक 30.03.2008 से जारी की गयी है तथा इसके उपरान्त मूल आवंटी ने पालिका से बिना विक्रय अनुमति प्राप्त कर उक्त भूखण्ड को आवेदक श्रीमती इन्दू शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा निवासी रावतभाटा को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 21.04.2008 से विक्रय किया गया। जिसका नामान्तरण पालिका रिकॉर्ड में स्वीकृति पत्रांक 446 दिनांक 03.05.2013 से दर्ज किया गया है। आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार उक्त भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया गया है और वर्तमान में भूखण्ड खाली है।

चूंकि इस भूखण्ड पर निर्धारित समयावधि में भवन निर्माण नही किये जाने के कारण भूखण्ड वर्तमान में स्वत: निरस्त की श्रेणी में है, जिसका नियमन एवं बहाली विभागीय आदेशानुसार पुर्नग्रहण शुल्क वसूल किया जाकर एवं इस भूखण्ड के आवंटन/विक्रय को 10 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण पुन: विक्रय बाबत् पूर्वानुमति आवश्यक नही होने से इस कार्यालय द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अत: उक्त आवासीय भूखण्ड को पुन: विक्रय करने की पालिका द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र किये जाने पर किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित रहे। **अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा**

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2025-26/636 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक:- 21.5.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री चिराग छाबडा पिता श्री रमेशचन्द छाबडा निवासी रावतभाटा ने इस कार्यालय में आवेदन मय शपथ पत्र एवं वांछित दस्तावेजों की स्व: प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ प्रस्तुत कर नगर पालिका रावतभाटा की श्रीगणेश नगर आवासीय योजना रावतभाटा के भूखंड संख्या 246 श्रेणी (अ) साईज 25x50 कुल 1250 वर्गफीट अर्थात 116.17 वर्गमीटर का नामान्तरण/हस्तान्तरण अपने नाम पालिका रिकार्ड में दर्ज करने व बाद नामान्तरण इस भूखंड पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति व नक्शानुमोदन हेतु आवेदन मय नक्शे की प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत दस्तावेज एवं पत्रावली अनुसार यह भूखंड पालिका द्वारा लॉट्री दिनांक 31.12.2007 अन्तर्गत श्री जयराम गरासिया पिता स्व. श्री नानूराम गरासिया सिंगाडिया (धागडमऊखुर्द) को आवंटित किया गया था, जिसकी सम्पूर्ण राशि एवं एकमुश्त लीज राशि 10 वर्ष की जमा होने के उपरांत पालिका द्वारा लीज डीड क्रमांक 773 दिनांक 17.04.2008 व पंजीयन दिनांक 24.04.2008 से जारी की गई। जिसके उपरांत आवंटी ने पालिका से बिना विक्रय अनुमति प्राप्त कर उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 29.04.2008 के जरिये श्रीमती कमला देवी धाकड पत्नी श्री कजोडमल धाकड निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया, जिसका नामान्तरण पालिका रिकोर्ड में स्वीकृति पत्रांक 3536 दिनांक 03.12.2012 से दर्ज किया गया। इसके उपरान्त उक्त नामान्तरिती ने पालिका से विक्रय अनुमति प्राप्त कर उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 18.03.2013 से श्रीमती मृदूला शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया है, जिसका नामान्तरण पालिका रिकोर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया तथा श्रीमती मृदूला शर्मा द्वारा उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24.02.2025 से आवेदक श्री चिराग छाबडा पिता श्री रमेशचन्द छाबडा निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया। जिसके आधार पर आवेदक ने भूखंड का नामान्तरण नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत एवं बाद नामान्तरण भूखंड पर आवासीय भवन के निर्माण की स्वीकृति व नक्शानुमोदन प्रभावी मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के तहत चाही गई है।

अत: उक्त भूखंड का हस्तान्तरण पालिका रिकार्ड में आवेदक के नाम दर्ज कर भवन निर्माण स्वीकृति व नक्शानुमोदन किए जाने में किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति/उजर हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति/उजरदारी प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/1940 दिनांक: 21.5.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री प्रदीप कुमार मालवीय पुत्र स्व. श्री टीकम चन्द मालवीय निवासी मालवीय सदन मेडिकल्स मार्केट जगदीश होटल के पास लाडपुरा कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 122 एल.आई.जी.एच. दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 122 एल.आई.जी.एच. दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय मण्डी कमेटी चम्बल योजना कोटा द्वारा पत्र क्रमांक एफ 1(3)क म/विकास/60/672 दिनांक 10.02.1961 से श्रीमती राम कुंवर बाई पुत्री श्री राम पन्ना जी को किया गया। श्रीमती राम कुंवर बाई ने जर्ये वसीयत दिनांक 20.06.1976 से उक्त भूखंड की वसीयत श्री ज्ञानेश्वर मालवीया पुत्र श्री राम कल्याण के नाम कर दी। श्रीमती राम कुंवर बाई का देहावसान दिनांक 31.07.1991 को हो जाने के उपरांत श्री ज्ञानेश्वर मालवीया जर्ये रजिस्टर्ड उपहार विलेख पत्र दिनांक 23.11.2000 से उक्त भूखंड श्री प्रदीप कुमार मालवीय पुत्र श्री टीकम चन्द मालवीय को उपहार स्वरुप प्रदान कर दिया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। **उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण**

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-ननिको-द/उपायुक्त जोन द्वितीय/भ.नि.अनु./2025/1970-71 दिनांक:- 21.5.2025

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नवरतन जैन पुत्र श्री ओमप्रकाश जैन निवासी 293-बी महावीर नगर प्रथम योजना कोटा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 293-बी महावीर नगर प्रथम योजना कोटा क्षेत्रफल 462.50 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का आवेदन किया है। भूखण्ड संख्या 293-बी महावीर नगर प्रथम योजना कोटा क्षेत्रफल 462.50 वर्गफुट की लीज डीड दिनांक 30.09.1977 से कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल के पक्ष में जारी की गई है। श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 06.07.1997 को हो जाने के उपरान्त उनके जिवित विधिक वारिसान श्रीमती दुर्गा देवी मित्तल एवं श्री पंकज मित्तल द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.11.2024 से भूखण्ड संख्या 293-बी महावीर नगर प्रथम का बैचान आवेदक के पक्ष में किया गया है। उक्त भूखंड संख्या 293-बी महावीर नगर प्रथम योजना कोटा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करे। बाद मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-ननिको-द/उपायुक्त जोन द्वितीय/भ.नि.अनु./2025/1966-67 दिनांक:- 21.5.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री भंवर लाल नागर निवासी 10-डी-9 महावीर नगर तृतीय परिजात योजना कोटा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 10-डी-9 महावीर नगर तृतीय परिजात योजना कोटा क्षेत्रफल 189 वर्गमीटर का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का आवेदन किया है। भूखंड संख्या 10-डी-9 महावीर नगर तृतीय परिजात योजना कोटा क्षेत्रफल 189 वर्गमीटर की परपेच्यूअल लीज डीड क्रमांक 133 दिनांक 12.09.1995 से कार्यालय राजस्थान आवासन बोर्ड कोटा द्वारा श्री पांचू लाल नागर पुत्र श्री गौरु लाल एवं श्री भंवर लाल नागर पुत्र श्री पांचू लाल नागर के पक्ष में जारी की गई है। कार्यालय नगर निगम कोटा द्वारा श्री पांचू लाल नागर के अविभाजित आधे भाग का नामांतरण वसीयत के आधार पर आदेश क्रमांक 13741-42 दिनांक 28.01.2016 को श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री भंवर लाल नागर के पक्ष में किया गया है। श्री भंवर लाल नागर की मृत्यु दिनांक 01.04.2025 को हो चुकी है। श्री भंवरलाल नागर द्वारा आलेखित वसीयतनामा दिनांक 27.12.2024 से भूखंड संख्या 10-डी-9 महावीर नगर तृतीय परिजात योजना कोटा के स्वयं के आधे अविभाजित भाग की वसीयत आवेदिका श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री भंवर लाल नागर के पक्ष में की गई है। उक्त भूखंड संख्या 10-डी-9 महावीर नगर तृतीय परिजात योजना कोटा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करे। बाद मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/2060 दिनांक:- 22.5.2025

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अभिषेक पारीक पुत्र स्व.श्री कैलाश नारायण पारीक निवासी-एफ 1-108 नेमीनगर वैशाली नगर जयपुर (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण भूखण्ड संख्या-330 शास्त्री नगर दादाबाडी कोटा (राज.) नगर निगम कोटा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या-330 शास्त्री नगर दादाबाडी कोटा क्षेत्रफल-1800 वर्गफुट का कार्यालय मण्डी कमेटी चम्बल परियोजना कोटा द्वारा पत्र क्रमांक-लेखा/मण्डी/60 दिनांक 28.12.1969 को श्री कैलाश नारायण पारीक पुत्र श्री राधावल्लभ को आवंटन किया गया। श्री कैलाश नारायण पारीक पुत्र श्री राधावल्लभ की मृत्यु दिनांक 19.05.2019 को हो चुकी है। श्रीमती संतोष कुमारी पारीक पत्नी स्व.श्री कैलाश नारायण पारीक की मृत्यु दिनांक 24.11.2017 को हो चुकी है। दोनों की मृत्यु उपरांत उनके शेष विधिक वारिसान श्रीमती तपस्या पुत्री स्व.श्री कैलाश नारायण पारीक द्वारा अपना हक पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 31.05.2019 से श्री अभिषेक पारीक पुत्र स्व.श्री कैलाश नारायण पारीक के पक्ष में त्याग दिया है। श्री अभिषेक पारीक पुत्र स्व.श्री कैलाश नारायण पारीक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर परिषद बारां (राज.)

क्रमांक:-नपबा/ रुपा./2025/1137-38 दिनांक 22.05.2025

आपत्ति सूचना

नाकोडा धाम ए व नाकोडा धाम बी राजस्व ग्राम नलका खसरा नं. 276, 857/849, 669/273, 856/849 दोनों के ले आउट प्लान के मध्य निकल रही 40 फीट सड़क को मौके अनुसार निर्मित सड़क 60 फीट कर ले आउट प्लान में संशोधन किये जाने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। अत: उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो मय दस्तावेज आपत्ति 10 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करे बाद मियाद गुजरने पर आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित हो।

आयुक्त
नगर परिषद बारां

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11विक्रय/2025/48 दिनांक:-21.5.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास संख्या 93 कॉर्नर विवेकानन्द नगर आवासीय योजना में हस्तान्तरण पत्र क्रमांक 751 दिनांक 24.07.2024 को श्रीमती विनिता जैन पत्नी श्री अरविन्द जैन एवं श्री अरविन्द जैन पुत्र श्री निर्मल कुमार जैन के नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्रीमती विनिता जैन पत्नी श्री अरविन्द जैन एवं श्री अरविन्द जैन पुत्र श्री निर्मल कुमार जैन द्वारा उक्त आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री सुखराज सिंह सन्धु पुत्र श्री हरपाल सिंह द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.04.2025 को श्रीमती ज्योति गुप्ता पत्नी श्री संजय को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्रीमती ज्योति गुप्ता पत्नी श्री संजय द्वारा उक्त आवास का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 93 कॉर्नर विवेकानन्द नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती ज्योति गुप्ता पत्नी श्री संजय के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 483 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 22.5.25

आवास संख्या 4-जी-7 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री मेहमूद अली पुत्र श्री शौकत अली को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री राम स्वरुप गौत्तम पुत्र जमना लाल गौत्तम के नाम दिनांक 02.12.2006 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री राम स्वरुप गौत्तम पुत्र जमना लाल गौत्तम द्वारा दिनांक 15.10.2020 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री राम स्वरुप गौत्तम पुत्र जमना लाल गौत्तम की मृत्यु दिनांक 20.01.2021 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री रमाकांत गौत्तम, श्री देवेन्द्र गौत्तम व श्री नवनीत गौत्तम पिसरान स्व. श्री राम स्वरुप गौत्तम, श्रीमती राजकुमारी पुत्री स्व. श्री राम स्वरुप गौत्तम पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार, श्री रामदुलारी पुत्री स्व. श्री राम स्वरुप गौत्तम पत्नी श्री गिरिराज एवं श्री राधा पुत्री श्री राम स्वरुप गौत्तम पत्नी श्री हरी प्रकाश द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 12.10.2021 को श्रीमती मुन्नी देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री राम स्वरुप शर्मा के पक्ष में किया गया। श्रीमती मुन्नी देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री राम स्वरुप शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-जी-7 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर श्रीमती मुन्नी देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री राम स्वरुप शर्मा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती मुन्नी देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री राम स्वरुप शर्मा के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती मुन्नी देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री राम स्वरुप शर्मा के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

AU SMALL FINANCE BANK — A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है।''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अत: आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चो प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/ बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(खाता सं.) L9001060100392611 **प्रेम शंकर कुमावत (ऋणी)**, श्रीमती लीला बाई (सह-ऋणी), जितेंद्र कुमार मीणा (जमानतदार)	13 मार्च 2025 ₹ 649322/- रु. छह लाख उनचास हजार तीन सौ बाईस मात्र दिनांक 12 मार्च 2025	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 31, खसरा नं. 851, ग्राम रघुनाथपुरा (चेता), पंचायत समिति हिंडोली, जिला बूंदी, राजस्थान, **क्षेत्रफल 1458 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060126774334 **प्रीत इलेक्ट्रॉनिक्स जरिए प्रोपराइटर कुलदीप सिंह (ऋणी)**, श्रीमती रंजीत कौर (सह-ऋणी), कुलदीप सिंह (सह-ऋणी)	13 मार्च 2025 ₹ 719056/- रु. सात लाख उन्नीस हजार छप्पन मात्र दिनांक 12 मार्च 2025	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 4623, मिसल नं. 4629, संकल्प नं. 03(1), ग्राम पंचायत - डाबी, ग्राम- नमाना, तहसी- तालेरा, जिला- बूंदी, राजस्थान **क्षेत्रफल 2660 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060716552190 **अब्दुल आजाद (ऋणी)**, अब्दुल वाहिद चौहान (सह-ऋणी)	11 मार्च 2025 ₹ 2440596/- रु. चौबीस लाख चालीस हजार पांच सौ छियानवे मात्र दिनांक 10 मार्च 2025	सम्पत्ति स्थित इंद्र कॉलोनी में मकान, तालेरा, तहसील- बूंदी, राजस्थान **क्षेत्रफल 178.33 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060117023998 **चर्तुभुज राठौड़ (ऋणी)**, मोड़ू लाल (सह-ऋणी), श्रीमती संतोष बाई (सह-ऋणी)	9 अप्रैल 2025 ₹ 401941/- रु. चार लाख एक हजार नौ सौ इक्तालीस मात्र दिनांक 7 अप्रैल 2025	सम्पत्ति स्थित खेराबाद रामगंज मंडी, तहसील- रामगंज मंडी, जिला- कोटा, राजस्थान **क्षेत्रफल 345 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060117162503 **लक्ष्मी कांत विजय (सह-ऋणी व स्व. श्री हर्षित विजय के विधिक उत्तराधिकारी - ऋणी)**, श्रीमती संतोष विजय (सह-ऋणी व स्व. श्री हर्षित विजय के विधिक उत्तराधिकारी - ऋणी)	18 मार्च 2025 ₹ 736625/- रु. सात लाख छत्तीस हजार छह सौ पच्चीस मात्र दिनांक 18 मार्च 2025	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 41, बुक नं. 30, खसरा नं. 934/1, वार्ड नं. 14, मनोहर थाना रोड, ग्राम - हरनावदाशाहजी, जिला- बारां, राजस्थान **क्षेत्रफल 516 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060119229700 **मेसर्स पद्मावती कम्युनिकेशन जरिए प्रोपराइटर राखी सोगानी (ऋणी)**, श्रीमती राखी सोगानी (सह-ऋणी), सोनू सोगानी (सह-ऋणी), रौनक सोगानी (सह-ऋणी)	16 अप्रैल 2025 ₹ 1628469/- रु. सोलह लाख अट्ठाईस हजार चार सौ उनहत्तर मात्र दिनांक 15 अप्रैल 2025	सम्पत्ति स्थित वार्ड नं. 15, गुरुद्वारे के सामने, भवानीमंडी, तहसील - पचपहाड़, जिला झालावाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 1566 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060719558358 **श्री उदय जरिए प्रोपराइटर नरेश कुमार गुर्जर (ऋणी)**, नरेश कुमार गुर्जर (सह-ऋणी), श्रीमती प्रेम बाई (सह-ऋणी), श्रीमती ममता कुमारी (सह-ऋणी)	13 मार्च 2025 ₹ 1364186/- रु. तेरह लाख चौसठ हजार एक सौ छियासी मात्र दिनांक 12 मार्च 2025	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 1953, ग्राम अकतासा, ग्राम पंचायत अकतासा, पंचायत समिति तालेड़ा, जिला बूंदी, राजस्थान **क्षेत्रफल 3280 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060120645942 **मेसर्स देव दीप दूध सप्लाई (ऋणी)**, मुकेश कुमार गुर्जर (सह-ऋणी), रघुनाथ गुर्जर (सह-ऋणी), श्रीमती दीप कंवर गोचर (सह-ऋणी)	9 अप्रैल 2025 ₹ 446402/- रु. चार लाख छियालीस हजार चार सौ दो मात्र दिनांक 7 अप्रैल 2025	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 1824, रघुनाथ का प्लॉट,खसरा नं. 418 का भाग, मेघावत की झोपड़ीया, जिला-बूंदी, राजस्थान **क्षेत्रफल 2500 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001070230264648 **सोनू सेन (ऋणी)**, मोनू सेन (सह-ऋणी), श्रीमती मंजू सेन (सह-ऋणी)	16 अप्रैल 2025 ₹ 334753/- रु. तीन लाख चौंतीस हजार सात सौ तिरपन मात्र दिनांक 15 अप्रैल 2025	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 3227, खसरा नं. 715 ग्राम-नाहरगढ़, तहसील- किशनगंज, जिला- बारां,राजस्थान **क्षेत्रफल 1120 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060144299040 **संतोष कुमार (ऋणी)**, श्रीमती रचना (सह-ऋणी)	21 मार्च 2025 ₹ 250155/- रु. दो लाख पचास हजार एक सौ इक्कावन मात्र दिनांक 18 मार्च 2025	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 336, जीपी- आंवली कलां, तहसील- पचपहाड़, जिला- झालावाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 54.44 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060129746190 **इंद्रराज (ऋणी)**, श्रीमती मेवा बाई (सह-ऋणी)	25 मार्च 2025 ₹ 246304/- रु. दो लाख छियालीस हजार तीन सौ चार मात्र दिनांक 24 मार्च 2025	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. पीएस खसरा नं. 2021-2786 खसरा नं. 2521 का भाग, वार्ड नं. 28, तहसील- पीपलदा, इटावा, जिला - कोटा, राजस्थान **क्षेत्रफल 1640 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060123566509 **राजेंद्र गोचर (ऋणी)**, श्रीमती भारत बाई (सह-ऋणी), महेंद्र गोचर (जमानतदार)	17 मार्च 2025 ₹ 301490/- रु. तीन लाख एक हजार चार सौ नब्बे मात्र दिनांक 12 मार्च 2025	सम्पत्ति स्थित ग्राम पंचायत पट्टा नं. 05636, सुलतानपुर, दीगोद, जिला - कोटा, राजस्थान **क्षेत्रफल 152.78 वर्ग गज**

स्थान : कोटा **दिनांक: 22-05-2025** **प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

कांग्रेस की बैठक हुई

कोटा, (निसं)। संविधान बचाओं जिला स्तरीय 31 मई को होने वाली शहर एवं देहात की संयुक्त रैली की तैयारियों को लेकर गुरुवार को सायं 4 बजे कांग्रेस कार्यालय गुमानपुरा पर बैठक रखी गयी जिसकी अध्यक्षता शहर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रविन्द्र त्यागी ने की बैठक में लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल रैली प्रभारी पानाचंद मेघवाल एवं देशराज मीणा रहे मौजूद नाग-नागिन मंदिर स्थित दाधीच छात्रावास में 31 मई को होने वाली आयोजित रैली में सम्मलित होने की तैयारियों को लेकर रविन्द्र त्यागी, प्रहलाद गुंजल, प्रभारी मेघवाल, देशराज मीणा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उन्हें रैली कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई।

आज बिजली बन्द रहेगी

छबड़ा (निसं)। 33/11 केवी छबडा जीएसएस से संचालित खाखांरा, निपानिया, चावलखेड़ी व जैपला फ़ीडरों पर मरम्मत कार्य होने के कारण 5 घण्टे समस्त फीडरों की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। सहायक अभियंता जयेन्द्र सिंह झाला ने बताया कि 33/11 छबडा जीएसएस से संचालित खाखांरा, निपानिया, चावलखेड़ी व जैपला फीडरों पर मरम्मत कार्य के चलते आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक समस्त फीडरों की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

खोया पाया

संगीता पुत्री रामलाल रोहिडा मकान नं. 2-भ-21 झूलेलाल मंदिर के पास विज्ञान नगर कोटा का मूल आवंटन पत्र कब्जा पत्र डिक्लेरेशन व इन्वेंटरी गुम हो गए है किसी को मिलने पर सूचित करें।

'शहर में इस योजना के तहत कई लोग लाभान्वित होंगे'

रामगंजमण्डी, (निसं)। नगरपालिका क्षेत्र रामगंजमण्डी में निवास करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं जरूतमंदों के लिए अच्छी खबर है। इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके व्यवसायों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की गई है। इसमें जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। शहर की निकाय के लिए 126 का टारगेट दिया गया है।

नगरीय क्षेत्र में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) में शहरी गरीबों को सशक्त बनाने और स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता था।

सरकार ने पिछले साल के अंत में उक्त योजना को बंद कर दिया गया। इसके बंद होने से स्ट्रीट वेडर्स को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। राजस्थान सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की है। इसमें भी जरूरतमंद एवं श्रमिकों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

उक्त जानकारी देते हुए अधिशाषी अधिकारी तरुण कुमार लहरी ने बताया कि इसके लिए ऐसे महिला/पुरूष जो उक्त श्रेणियो में आते है वह स्थानीय नजदीकी ई-मित्र पर जाकर योजनान्तर्गत ऋण हेतु लाभार्थी अपने जनाधार के माध्यम से एसएसओ पार्टल/एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

उक्त योजना में जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों से सम्बद्ध असंगठित सेवा क्षेत्र के श्रमिक जैसे गिगवर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर, भवन निर्माण श्रमिक, हॉकर्स, वेस्ट वर्कर, रेग पिकर (कचरा बिनने वाले) व दस्तकार आदि जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं है। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेडर्स ही लाभार्थी थे। उन्हें ही ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

कार्यालय नगर पालिका भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांक:-न.पा.भ./भूमि/2025/349-50 दिनांक:-21.05.2025

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकों ने नगरपालिका भवानीमण्डी में सीमान्तर्गत पट्टा/पट्टा नवीनीकरण/लीज हस्तांतरण/निर्माण स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है। उक्त संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 7 योम कार्यालय नगरपालिका में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

क्र.सं.	नाम/पिता, पति का नाम	स्थान	विवरण
1	श्रीमती नैन कुंवर मेघवाल पत्नी श्री अनिल कुमार	प्लाट नं. 22 अहिंसा नगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
2	श्रीमती हनिफा बेगम पत्नी श्री मुकीम हसैन	न्यू कालोनी प्लाट नं. 10 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
3	श्रीमती रजिया पत्नी श्री इशाक नूर पठान	श्री नवकार धाम आवासीय कालोनी शिवालय के पास प्लाट नं. 30 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
4	श्री श्यामसुन्दर शर्मा आ. श्री रामरतन शर्मा	अहिंसा नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. IC का उत्तरी भाग पशु अस्पताल के पीछे नई विकसित कालोनी में भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
5	श्री रईस मंसूरी आ. श्री बफात मोहम्मद	आदर्श विद्या मंदिर के पास पचपहाड रोड वार्ड नं. 01 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
6	श्री अजय पाल सिंह आ. श्री अतर सिंह सिक्ख	दीनदयाल उपाध्याय कालोनी प्लाट नं. 23 (वाणिज्यिक) भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
7	श्रीमती नीता गुप्ता पत्नी श्री राजीव गुप्ता	केतडी बाजार सिन्धी मौहल्ला वार्ड नं. 19 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
8	श्री राजेश गर्ग आ. श्री मनोहर लाल गर्ग	नेहरु पार्क के पास वार्ड नं. 38 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
9	श्रीमती विद्या बाई पत्नी श्री छीतरलाल	कमर्शयल दुकान प्लाट नं. 2 बी का भाग व प्लाट नं. 3 अनन्त विहार आवासीय कालोनी रेलवे क्रासिंग के पास भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
10	श्री महबूब आ. श्री गुलाम मोईनुद्दीन	प्लाट नं. 08 महालक्ष्मी नगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
11	श्रीमती किरण मालवीय पुत्री श्री द्वारकालाल मालवीय पत्नी श्री संजय लुहार	अन्नपूर्णा रेजीडेन्सी कालोनी प्लाट नं. 32 बायपास रोड पर भैरु माली रिसोर्ट के पीछे	निर्माण स्वीकृति
12	श्रीमती तारा पाटीदार पत्नी श्री कैलाशचन्द पाटीदार	गोकुल धाम आवासीय कालोनी प्लाट नं. 05 राधगोविन्दधाम आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
13	श्रीमती फमिदा बी पत्नी श्री रशीद मोहम्मद मंसुरी	साक्षी विहार कालोनी प्लाट नं. 05 (प्लाट नं. 05 पुराने नक्शे व रजिस्ट्री के अनुसार) न्यू बस स्टेण्ड के पास नई विकसित कालोनी भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
14	श्री महेन्द्रसिंह पत्नी श्री नारायण सिंह	प्लाट नं. 28 आदिनाथ विहार आवासीय कालोनी माली मोहल्ला मुगलाना	लीज हस्तान्तरण
15	श्रीमती रचना शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार	प्लाट नं. 22 साक्षी विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
16	श्री दीपक कुमार आ. श्री रमेशचन्द	प्लाट नं. 72 का पश्चिमी भाग शान्ति नगर कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
17	श्रीमती कान्ता बाई पत्नी श्री शंकरलाल राणा	प्लाट नं. 89 श्रीराम कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
18	श्रीमती रजिया पत्नी श्री इशाक नूर पठान	प्लाट नं. 30 नवकारधाम आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
19	श्रीमती किरण मालवीय पुत्री श्री द्वारकालाल मालवीय पत्नी श्री संजय लुहार	प्लाट नं. 32 अन्नपूर्णा रेजीडेन्सी कालोनी माण्डवी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
20	श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी श्री सुरेश कुमार शर्मा	प्लाट नं. 122 एस.डी. नगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
21	श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी श्री सुरेश कुमार शर्मा	प्लाट नं. 123 एस.डी. नगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
22	श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी श्री सुरेश कुमार शर्मा	प्लाट नं. 124 एस.डी. नगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
23	श्री रवि कुमार आ. श्री प्रीतमसिंह यादव	प्लाट नं. 36 लीला विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
24	श्रीमती विद्या बाई पत्नी श्री छीतरलाल	कमर्शयल दुकान प्लाट नं. 2 बी का भाग व प्लाट नं. 3 अनन्त विहार आवासीय कालोनी रेलवे क्रासिंग के पास भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका भवानीमण्डी